प्रेषक,

संख्या–664 / 49–3–2010–100(23) / 2005

मोहन लाल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

(3)

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3

लखनऊ : दिनॉक 25 फरवरी, 2010.

विषयः– विभागीय मंत्री जी द्वारा विवेकाधीन अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान दिये जाने के रूप में आय–व्ययक 2009–10 में प्राविधानित धनराशि रू0 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) की सम्राट श्रम सहकारी समिति लि0 चकवड़, जिला प्रतापगढ़ के पक्ष में सहकारिता के विकास हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान प्रदान करते हैं।

2– उक्त अनुदान का आवंटन गृहीता संस्था को करने के पूर्व इस आशय का प्रमाण–पत्र लिया जायेगा कि उसने राज्य सरकार के किसी अन्य श्रेणी के विवेकाधीन अनुदान/मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चालू वित्तीय वर्ष में कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं की है।

3– उक्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें यह उल्लेख किया जायेगा कि अनुदान की शर्तो और उद्देश्यों को पूर्ण कर लिया गया है।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–18 के अधीन लेखाशीर्षक "2013–मंत्रिपरिषद–आयोजनेत्तर–105– मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान–03–सहकारिता मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान–42 – अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।

संख्या–664 (1)/49–3–2010, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– निजी सचिव, मा0 सहकारिता मंत्री जी उ0प्र0 शासन।
4– वित्त नियंत्रक, सहकारी समितियॉ,उ0प्र0, लखनऊ।
5– मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद एवं जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
6– सम्बन्धित संस्था द्वारा निबन्धक, सहकारी समितियॉ,उ0प्र0, लखनऊ।
7– जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, प्रतापगढ़, उ0प्र0।
8– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

25/2/10

(जितेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव